न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 164/2022

GCMS No. : 2022/310

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

1. जयराम पुत्र बीजा
2. बाबूलाल पुत्र हापूराम
3. मदनलाल पुत्र हापूराम जातियान–जाट
निवासीगण–मालपुरिया तहसील–जैतारण ।
4. राजूराम पुत्र देवाराम जाति–गुर्जर
निवासी– रामावास कलां तहसील–जैतारण
जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 1955

तारीख रजू :– 25.08.2022

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

2. श्री गोविन्द प्रजापत, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 25.11.2024

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 118 क्षेत्रफल 9.1054 हैक्टर किस्म चा0चा0 मौजा– मालपुरिया पटवार हल्का– बिरोल** में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 01 से लगायत 01 ने साथ मिलकर जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***आवासीय कॉलोनी बनाकर*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 04.08.2022** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **अकृषि (आवासीय कॉलोनी बनाकर)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल किया गया, प्रतिवादी संख्या 02 से 04 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 को जवाब प्रार्थना पसयत्र पेश करने के अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 118 कुल रकबा 9.1054 हैक्टर, मौजा पातुस जिसकी किस्म चाही चारम है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया कार अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए उक्त विवादग्रस्त आराजी के 0.4856 हैक्टेयर भाग पर पर आवासीय कॉलोनी काटकर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। पटवारी बिरोल की मौका फर्द दिनाँक 04.08.2022 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती हैं। खातेदार द्वारा बावजूद सम्मन सूचना के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं न ही अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जानें का पर्याप्त आधार है।

अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के कुल रकबा में से खातेदारान् प्रतिवादीगण की हिस्से की 0.4856 हैक्टेयर भूमि की अभिधृतियां निर्वापित करते हुए सिवाय चक खाता सरकार दर्ज कर मौके से भौतिक रुप से खातेदारान् की बेदखली करते हुए कब्जा राज प्राप्त किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- मालपुरिया पटवार हल्का-बिरोल, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 118 रकबा 9.1054 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, में से **0.4856 हैक्टेयर भाग जो कि वाद-पत्र एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 में अंकित है,** से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से प्रतिवादीगण को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए कब्जा राज प्राप्त करें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)

इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा तथा तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 25/11/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1. जयराम पुत्र बीजा 2. बाबूलाल पुत्र हापूराम 3.मदनलाल पुत्र हापूराम जातियान–जाट निवासीगण–मालपुरिया तहसील–जैतारण । 4.राजूराम पुत्र देवाराम जाति–गुर्जर निवासी– रामावास कलां तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर राज0।

राजस्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 164/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा– मालपुरिया पटवार हल्का–बिरोल, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0 के खसरा नम्बर 118 रकबा 9.1054 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, में से 0.4856 हैक्टेयर भाग जो कि वाद–पत्र एवं पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से प्रतिवादीगण को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए कब्जा राज प्राप्त करें। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। तथा तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/11/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	Nil		मिजानः–	01	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।